श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 10.01.2012 को आहुत आपूर्त्ति संबंधी मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थितिः- यथा उपस्थिति पंजी

1. **खाद्यान्न उठाव/वितरणः-**खाद्यान्न उठाव/वितरण की समीक्षा के क्रम में डीपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया है कि 03 (तीन) रैक चावल आया है, जिसे उठाव किया जा रहा है। 02 रैक गेहूँ का आवंटन प्राप्त है, जो आने वाला है।

   डीपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि गेहूँ के रैक के लिए पत्राचार किया जाए एवं शीघ्रातिशीघ्र गेहूँ मँगाने की व्यवस्था की जाए।

   जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया है कि परिवहन-सह-हथालन की व्यवस्था शीघ्र कर FCI के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कराना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि माह जनवरी-12 के आवंटन के विरूद्ध ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए। किसी भी परिस्थिति में बैक लॉग खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाए।

2. **रोस्टर** :- सहायक गोदाम प्रबन्धक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से रोस्टर तैयार करें एवं रोस्टर के अनुरूप खाद्यान्न का उठाव कराना सुनिश्चित करें। यह भी ध्यान रखें कि एक सप्ताह में सामान्यतः तीन दिन से ज्यादा उठाव न हो ताकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन उठाव के उपरांत किया जा सकें। किसी कारणवश निर्धारित रोस्टर के अनुसार यदि खाद्यान्न का उठाव नहीं हो पाता है तो रोस्टर को Revised करेगें।

3. **अन्नपूर्णा योजनाः-**मुंगेर जिलान्तर्गत सभी अन्नपूर्णा लाभुकों को वृद्धा पेंशन से अच्छादित कर दिया गया है। अतः वर्त्तमान में अन्नपूर्णा लाभुकों की संख्या शुन्य हो गया है। अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत पूर्व से राज्य खाद्य निगम के गोदाम में तथा जन वितरण प्रणाली विकेता के पास अवशेष खाद्यान्न होगा, जो रखे-रखे खराब होने की संभावना है।

   सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत अवशेष बचे खाद्यान्न की सूचना जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिला प्रबन्धक राज्य खाद्य निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त अवशेष बचे खाद्यान्न को काटकर BPL/AAY योजनाा में SIO निर्गत किया जाए।

4. **किरासन तेलः-**विभागीय पत्रांक 9943 दिनांक 21.12.11 द्वारा माह दिसम्बर-11 में उपभोक्ताओं की अनुमान्य मात्रा के अतिरिक्त 500 मिली लीटर (आधा लीटर) किरासन तेल की आपूर्त्ति हेतु आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-1090 दिनांक 30.12.11 द्वारा उपावंटित करते हुए निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से किरासन तेल का उठाव कर दुकान में Stock कराया जाए एवं जनवरी 12 माह के सामान्य मासिक आवंटन के साथ वितरण किया जाए।

   सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे पंचायतवार रोस्टर तैयार वितरण कराना सुनिश्चित करें एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार क्षेत्र में करें तथा शत-प्रतिशत सत्यापन भी करें।

   अनुमंडल पदाधिकारी इसके वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु पूर्ण रूप से जबाबदेह होगे।

5. **अन्यान्य :-** गत बैठक में सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे मूल पारिवारिक सर्वेक्षण सूची में अन्त्योदय लाभुकों को चिन्हित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्व सूची में डीलर भी अंकित करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण पंचायतों की सर्वेक्षित सूची तैयार नहीं की गई तथा अन्त्योदय के आलावें अन्य लाभुकों के सर्वेक्षित सूची में जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का नाम अंकित नहीं किया गया।